न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी–3823/2018/भिण्ड/भू–रा0

श्री ... द्वारा आज दि. 23/6/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवसिंह ठाकुर
निवासी–ग्राम गोरमी, जिला भिण्ड, म0प्र0

2– मु0 सावित्री वेवा स्व0 सत्यनारायण

3–पंकज पुत्र स्व0 सत्यनारायण ब्राहम्मण
निवासीगंण –ग्राम गोरमी, परगना मेहगांव,
जिला भिण्ड, म0प्र0

—— आवेदकगंण

विरूद्व

1–रामदत्त समाधिया पुत्र श्री जीवाराम ब्रा0
निवासी–लालपुरा, तहसील गोरमी, जिला
भिण्ड, म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन

———असल अनावेदकगंण

3– विद्यादेवी पत्नी श्री राम तिवारी
निवासी– 429 गायत्री कालोनी, मुरैना द्वारा
किरायानामा जयश्रीराम तिवारी समाज
कल्यांण समिति द्वारा अध्यक्ष – जितेन्द्र
तिवारी पुत्र श्रीराम तिवारी, निवासी 429,
गायत्री कालोनी, मुरैना, म0प्र0

4–हरिप्यारी वेवा श्री किशन, निवासी– ग्राम
सिकरौदा, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड,

——— तरतीवी पक्षकार

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति.........
पृष्ठ क्र. 01 से 06
दिनांक 23/6/18
हस्ताक्षर व नाम.........

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3823/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.07.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को या तो स्वयं स्थल परीक्षण कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर सारगर्भित निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करना था तथा इस संबंध में लोक निर्माण विभाग का भी पक्ष जानना था। एवं राजस्व निरीक्षक ने भी अपने प्रतिवेदन में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने में कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	